A052-20232024-001-1734255

संख्या-65/2023/836/52-1-2023-04(पी0एम0जे0वी0)/2023

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2023**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की प्रथम/द्वितीय किश्त की अवशेष **राज्यांश की धनराशि अवमुक्त** किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2146/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/ धन0मांग-(330/4)/2022 दिनांक 28.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित परियोजना की प्रथम/द्वितीय किश्त की अवशेष राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की प्रथम/द्वितीय किश्त की अवशेष राज्यांश की धनराशि रू0 185.2930 लाख **(एक करोड़ पच्चासी लाख उन्तीस हजार तीन सौ मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-11 में उल्लिखित संगत लेखाशीर्ष तथा सतम्भ-10 में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का चयन	कुल अनुमोदित लागत	परियोजना हेतु अब तक निर्गत कुल धन0 (के0+रा0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित प्रथम/द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि			बजट प्राविधान	लेखाशीर्षक
						के0	रा0	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिद्धार्थनगर	बर्डपुर खुनियांव भगवानपुर डुमरियागंज एवं मिठवल में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	82.5000	82.0500	0.0000	0.4500	0.4500	175.60	4235-02-800-89-8904
2	सिद्धार्थनगर	नोगाद में अपर प्राइमरी स्कूल का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	14.7500	11.8000	0.0000	2.9500	2.9500	259.99	4235-02-800-89-8908
3	मुरादाबाद	विकास खण्ड डिगरपुर में राजकीय हाई स्कूल महमूदापुर का निर्माण	सी0एण्ड डी0एस	160.3700	155.0220	0.0000	5.3480	5.3480	2666.67	4235-02-800-89-8909
4	मुरादाबाद	विकास खण्ड बिलारी में राजकीय हाई स्कूल सिहाली का निर्माण	सी0एण्ड डी0एस	160.3700	155.0220	0.0000	5.3480	5.3480	2666.67	4235-02-800-89-8909
5	मुरादाबाद	विकास खण्ड-मुण्डापाण्डेय में राजकीय हाई स्कूल, सहरिया का निर्माण	सी0एण्ड डी0एस	160.3700	155.0220	0.0000	5.3480	5.3480	2666.67	4235-02-800-89-8909
6	मुरादाबाद	विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा में राजकीय हाई स्कूल अब्दुल्लापुरलेदा	सी0एण्ड डी0एस	160.3700	138.9880	0.0000	21.3820	21.3820	2666.67	4235-02-800-89-8909
7	मुरादाबाद	विकास खण्ड-दिलारी में राजकीय हाई स्कूल गख्खरपुर	सी0एण्ड डी0एस	160.3700	138.9880	0.0000	21.3820	21.3820	2666.67	4235-02-800-89-8909

https://shasanadesh.up.gov.in

8	सहारनपुर	चन्दोली में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण	सी0एण्ड डी0एस	348.7200	325.4800	0.0000	23.2500	23.2500	2666.67	4235-02-800-89-8909
9	शामली	राजकीय इण्टर कालेज ब्लाक ऊन के केरतू में	सी0एण्ड डी0एस	348.5000	318.2700	0.0000	30.2300	30.2300	2666.67	4235-02-800-89-8909
10	शामली	राजकीय इण्टर कालेज ब्लाक काधला के खेड़ा कुरतन में	सी0एण्ड डी0एस	348.5000	318.2700	0.0000	30.2300	30.2300	2666.67	4235-02-800-89-8909
11	गाजियाबाद	विकास खण्ड-भोजपुर के ग्राम पंचायत मछरी में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण	सी0एण्ड डी0एस	315.0000	275.6350	0.0000	39.3750	39.3750	2666.67	4235-02-800-89-8909
	योग			**2259.82**	**2074.547**	**0.00**	**185.2930**	**185.2930**		

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्द्रांश अवमुक्त है।

(3)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(4)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में अंकित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(10) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(13) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(14) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(18) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(19) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(20) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(21)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश **दिनांक 17.03.2023** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।

(22)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(23)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(24)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय **संख्या-**E-4-75-X-2023-24 दिनांक: 10-08-2023 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-836(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in